क्रम-संख्या—174

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 सितम्बर, 2021

भाद्रपद 12, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग—2

———

संख्या 7 / 1664853 / अस्सी-2—2021-80-2099-17-2021

लखनऊ, 3 सितम्बर, 2021

———

अधिसूचना

प०आ०—290

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करती हैं कि मकान संख्या के—12 कर्मयोगी एनक्लेव, कमलानगर, जिला आगरा में अवस्थित दिव्य भूमि एग्रीक्रोप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा पट्टाकृत नीचे सारणी में ब्यौरेवार रूप में उल्लिखित क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए खाद्यान्नों, फलों तथा सब्जियों के थोक सौदों के निमित्त, इस शर्त के साथ मण्डी उप—स्थल के रूप में कार्य करेगा कि कृषक—विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।

मण्डी उप—स्थल के खसरा एवं चौहद्दियों की ब्यौरेवार सारणी

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ग्राम छीतापुरा नगला वीरई, तहसील खैरागढ़, जिला आगरा के मण्डी क्षेत्र के भीतर अवस्थित गाटा संख्या—93, क्षेत्रफल 4610 वर्गमीटर।

पूरब—कुसुम शर्मा और अन्य के खेत।

पश्चिम—आगरा ग्वालियर मार्ग।

उत्तर—चन्द्रपाल का खेत और चकरोड।

दक्षिण—अशोक कुमार तोमर का खेत।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 7/1664853/Eighty-2–2021-80-2099-17-2021, dated September 3, 2021 :

No. 7/1664853-Eighty/2–2021-80-2099-17-2021

Dated Lucknow, September 3 , 2021

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) *read* with rule 58-A of Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965, the Governor is pleased to declare that the area detailed in the table below leased by Divyabhoomi Agricrop Producer Company Limited located at House no. K-12, Karamyogi Enclave, Kamla Nagar in district Agra, shall function as a market sub-yard for specified wholesale transaction of food grains, fruits and vegetables for a period of three years from the date of publicaiton of this notification in the *Gazette*, with the condition that no mandi fee shall be charged from the agriculturist-seller.

TABLE DETAILING KHASRA AND BOUNDARIES OF THE MARKET SUB-YARD

Gata no. 93, area 4610 square meter located within the market area of Krishi Utpadan Mandi Samiti , Village Chhitapura Nagla Birai, Tehsil Kheragarh, District Agra.

East - Field of Kusum Sharma and other.

West - Agra- Gwalior road.

North - Field of Chandra Pal and chak road.

South - Field of Ashok Kumar Tomar.

By order,

DR. DEVESH CHATURVEDI,

Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 296 राजपत्र–2021–(637)–599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

296 RPH (Krishi Viparan-2) 2021 Data 4e